न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 51 / 2020
निर्णय दिनांक : 12.03.2021

उनवान

1. श्रीमती फूलन देवी पत्नी श्री मानसिंह मीणा जाति मीणा निवासी प्लांट नम्बर 991 बरकत नगर जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. शम्भु पुत्र श्री छग्न
2. सागर पुत्र श्री छग्न
3. लाला पुत्र श्री छग्न
4. कैलाश खारवाल पुत्र श्री नामालूम

   समस्त जाति खटिक निवासी गौनेर तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू.रा.अ. 1956 बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की हाल आराजी कृषि खसरा नम्बर 2613 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 2614 रकबा 2.88 है0, खसरा नम्बर 2615 रकबा 0.64 है0, खसरा नम्बर 2623 रकबा 0.24 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.77 हैक्टेयर वाके ग्राम गोनेर तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान 01.07.2020 को श्रीमान तहसीलदार महोदय सांगानेर के आदेश क्रमांक / भू0अ0 / 20 / 1507 से 09 दिनांक 22.06.2020 की पालना में हमराह पटवारी हल्का गोनेर व पटवारी हल्का बिलवा के साथ मय रिकार्ड ग्राम गानेर के आराजी खसरा नम्बर 2613, 2614, 2615, 2623 के सीमाज्ञान हेतु मौके पर उपस्थित हुये मौके पर आवेदक खातेदार व अन्य मोतविरान मौके पर उपस्थित मिले।

सर्वप्रथम आराजी खसरा नम्बर 2613 हैक्टेयर गै0मु0 चाह से जरीब चलाकर उत्तरी पूर्वी कौना कायम 2614 का किया गया।

पुनः उक्त खसरा नम्बर 2613 गै0मु0 चाह से जरीब चलाकर खसरा 2623 का उत्तरी पश्चिमी कौना कायम किया गया। इस कौने से पूर्व दिशा कि ओर जरीब चलाकर खसरा नम्बर 2623 का उत्तरी पूर्वी कौना कायम किया। इस प्रकार खसरा न0 2614, 2615, 2623 का सीमाज्ञान कर सीमाओ की जानकारी प्रार्थीया खातेदार व उपस्थित मोतविरान के समक्ष करवाई गई। व उपस्थित के हस्ताक्ष[illegible] की भूमि के पडोसी काश्तकार अप्रार्थी संख्या एक लगायत चार झगडालु किस्म के [illegible] था आये दिन सीमा पर हमेशा विवाद करते है इस कारण प्रार्थीया की भूमि का [illegible] पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। इसलिये प्रार्थीया द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible] जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:36:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

प्रा. पत्र पेश होने पर उसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गयी। पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। जारी नोटिस रजिस्टर्ड नोटिस की ट्रेकिग रिपोर्ट पेश की। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील प्रार्थीया की बहस अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने की सुनी गई। बहस वकील प्रार्थीया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि की वाके ग्राम गोनेर तह0 सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित प्रार्थीया की हाल आराजी कृषि खसरा नम्बर 2613 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 2614 रकबा 2.88 है0, खसरा नम्बर 2615 रकबा 0.64 है0, खसरा नम्बर 2623 रकबा 0.24 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.77 हैक्टेयर का तह0 सांगानेर के सीमाज्ञान रिपोर्ट आदेश क्रमांक / भू0अ0 / 20 / 1507 से 09 दिनांक 22.06.2020 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक **12.03.2021** खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:36:48 IST
Reason: SelfAttested